गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक [illegible]62/स्था./प्रशा./2005

बिलासपुर, दिनांक 31/10/05

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा [illegible] के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 22.10.2005 विषय कमांक–01 के निर्णयानुसार डॉ0 एस.सी. तिवारी (अनारक्षित) आत्मज डी.एन.तिवारी की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय की वाणिकी विभाग में उपाचार्य के पद पर वेतनमान रूपये 12000–420–18300/– में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होगें।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें चालचलन संबंधी जॉच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।

दिनांक14.11.2005 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश–4 के अंतर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य है। उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्तें उपर्युक्तानुसार होगी, [illegible] मान्य नहीं होगी।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना मद में विकलनीय होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि चयन में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 3563/स्था./प्रशा./2005

बिलासपुर, दिनांक 31/10/05

प्रतिलिपि :–

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन,डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छ.ग.शासन, रायपुर (छ.ग.)।
07. निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
08. नियंत्रक/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. डॉ0 एस.सी. तिवारी, को इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक 14.11.2005 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा इकरारनामा भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. निजी नस्ती।

उप कुलसचिव (प्रशासन)

// गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) //
=====================================

क्रमांक 4004 /स्था. /प्रशा. /05 बिलासपुर, दिनांक 20/12/05

संशोधन आदेश

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 3562/स्था./प्रशा./05 दिनांक 31.10.05 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है –

"नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना मद में विकलनीय होगा" के स्थान पर "नियुक्ति पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के स्थापना मद में विकलनीय होगा" ।

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव (प्रशासन)

पृ.क्र. 4005 /स्था. /प्रशा. /05 बिलासपुर, दिनांक 20/12/05

प्रतिलिपि:-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ ।
02. वित्ताधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
03. सहायक संचालक, आंतरिक संपरीक्षा, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
04. विभागाध्यक्ष, वानिकी विभाग गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
05. डॉ0 एस.सी. तिवारी उपाचार्य वानिकी विभाग गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
06. निजी नस्ती ।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ0ग0)